

खसरा-रुबैला टीकाकरण अभियान

ब्लाक / सेक्टर स्तरीय आमुखीकरण

खसरा-रुबैला टीकाकरण अभियान— महत्व एवं भूमिका

- खसरा एक जानलेवा और संक्रामक रोग है, जो वायरस से फैलता है व बच्चों में असमय मृत्यु या विकलांगता का एक मुख्य कारण है। भारत देश में खसरा के कारण प्रति वर्ष लगभग 50,000 बच्चों की मृत्यु हो जाती है।
- गर्भवती महिलाओं में रुबैला रोग होने से जन्मजात रुबैला सिन्ड्रोम (Congenital Rubella Syndrome) हो सकता है, जो गर्भ में पल रहे भ्रूण व नवजात शिशु के लिए बेहद गंभीर हो सकता है। इससे गर्भपात, समय पूर्व प्रसव या मृत प्रसव की संभावनाएं बढ़ जाती है व दीर्घकालीन जन्मजात विसंगतियाँ भी हो जाती हैं जिससे आंख में (ग्लूकोमा, मोतियाबिन्द), कान में बहरापन तथा मस्तिष्क प्रभावित हो सकते हैं।
- इन दोनों गंभीर बीमारियों का कोई निश्चित इलाज नहीं है एवं इनसे बचाव का खसरा रुबैला टीकाकरण ही सबसे सरल, सुरक्षित एवं सर्वश्रेष्ठ उपाय है।

खसरा-रुबैला टीकाकरण अभियान— महत्व एवं भूमिका

- खसरा रोग को खत्म करने व रुबैला पर नियंत्रण के लिए हमारा देश कृतसंकल्प है। एक राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत खसरा एवं रुबैला के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिए खसरा-रुबैला (एम.आर.) का एक टीका स्कूलों, सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों, आउटरीच सत्रों व मोबाइल सत्रों में लगाया जाएगा। इस अभियान में 9 माह से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को यह टीका लगाया जाएगा, भले ही उन्हें यह टीका पहले लगा हो या बीमारी पहले हुई हो। अभियान के अंतर्गत यह टीका सभी सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्कूलों में निःशुल्क लगाया जाएगा।
- खसरा-रुबैला का टीका एक बहुत सुरक्षित टीका है तथा पिछले 40 वर्षों से इसका उपयोग किया जा रहा है। भारत के अलावा विश्व के अन्य कई देशों में भी करोड़ों बच्चों को इस टीके के जरिये सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

खसरा-रुबैला टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी

- इस अभियान का उद्देश्य निश्चित अवधि में पूरे राज्य में 9 माह से 15 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को एम.आर. टीके से प्रतिरक्षित करना है। सभी बच्चों को अभियान की अवधि में एम.आर. की खुराक आवश्यक रूप से दी जानी है चाहे उन्हें पूर्व में खसरा वैक्सीन / खसरा-रुबैला वैक्सीन की एक या दो खुराक दी जा चुकी है।
- इस अभियान में 100 प्रतिशत बच्चों को प्रतिरक्षित करने का लक्ष्य है व कम से कम 95 प्रतिशत मूल्यांकन कवरेज होना आवश्यक है। जब तक 95 प्रतिशत **मूल्यांकन** कवरेज प्राप्त नहीं होगा तब तक अभियान जारी रहेगा।
- कुपोषित बच्चों को भी यह टीका लगाना है क्योंकि इस प्रकार के बच्चों में संक्रमण की संभावनाएं ज्यादा होती है। हल्का बुखार, दस्त रोग या जुकाम जैसे लक्षण होने पर भी यह टीका दिया जा सकता है।

खसरा—रुबैला टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी

- बच्चों को खसरा—रुबैला का टीका एक नियत स्थान पर लगाया जायेगा। घर—घर जाकर टीकाकरण नहीं किया जायेगा।
- इस अभियान के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में स्कूलों में, इसके पश्चात् स्कूल नहीं जाने वाले तथा स्कूलों में टीकाकरण से छूट गये बच्चों के लिए तीसरे तथा चतुर्थ सप्ताह में आउटरीच सत्रों और मोबाइल टीम द्वारा, इसके पश्चात् पांचवे सप्ताह में मोनिटरिंग के दौरान किसी स्थान पर चार या उससे ज्यादा छूटे हुए बच्चों का पता चलता है तो इन जगहों पर अभियान दोहराया जायेगा।

खसरा-रुबैला टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी

- अभियान के दौरान नियमित टीकाकरण की सभी गतिविधियां जारी रहेंगी, परन्तु इन सत्रों में एम.आर. का टीका सप्लाई नहीं किया जायेगा।
- एम.सी.एच.एन. के दिन, अवकाश एवं रविवार के दिन अभियान का सत्र नहीं होगा।
- जिलों में बनाए गए माइक्रोप्लान इस अभियान की अवधि को तय करेंगे। आमतौर पर इस अभियान में लगभग 5 सप्ताह का समय लगता है पर उन जिलों में जहां वैक्सीनेटर की संख्या कम है, बच्चों का लक्ष्य या इंजेक्शन लोड अधिक है व कम कवरेज होने की स्थिति में अभियान का समय ज्यादा हो सकता है।

सुरक्षित तरीके से खसरा—रुबैला का टीकाकरण करना

- खसरा—रुबैला का टीका सूखे पाउडर के रूप में होता है। जिसे केवल निर्माता द्वारा उपलब्ध कराये गये तरल पदार्थ से रिकॉन्स्ट्रिट्यूट किया जाता है। एक वैक्सीन वायल में मौजूद सूखे पाउडर में एम्प्यूल के पूरे डाइल्यूएंट को मिलाया जाना चाहिए। रिकॉन्स्ट्रिट्यूट की गई वैक्सीन को चार घंटे के भीतर या सत्र समाप्ति पर, जो भी पहले हो, निस्तारण कर देना चाहिए।
- प्रत्येक वायल में 10 खुराक होती है। लक्षित आयु वर्ग के सभी बच्चों हेतु टीके की मात्रा 0.5 मि.ली. ही होती है। बच्चों को टीका सबक्यूटेनियस माध्यम से लगाया जाता है। खसरा — रुबैला का टीका लगाने की सही जगह दाएं/सीधे हाथ का ऊपरी हिस्सा होता है।

रिकॉन्स्टिट्यूट करने से पहले

- लेबल पर दवा अवधि समाप्ति (एक्सपायरी) का माह तथा वर्ष जांच ले। वैक्सीन एक्सपायर हो जाने पर, वायल पर लेबल न होने पर या लेबल फटा होने पर या खराब हो जाने की स्थिति में तथा Contaminate पाये जाने पर उस वैक्सीन का इस्तेमाल न करे।
- वैक्सीन वायल की सील पर लगे वी.वी.एम. की जांच कर ले। यदि वी.वी.एम. हट गया हो या वी.वी.एम. इस्तेमाल करने योग्य नहीं हो तो वैक्सीन को इस्तेमाल न करे।
- डाइल्यूएंट के एम्प्यूल पर अवधि समाप्ति (एक्सपायरी) की जांच अवश्य कर लें। यदि अवधि खत्म हो गयी हो तो इस्तेमाल ना करें।

रिकॉन्स्टिट्यूट करने से पहले

- यह भी जांच ले कि वैक्सीन वायल और डाइल्यूएंट का एम्प्यूल एक ही सप्लायर द्वारा सप्लाई किया गया हो और डाइल्यूएंट पर लिखा हो कि उसका इस्तेमाल खसरा—रुबैला की वैक्सीन के लिए ही होना है।
- वैक्सीन वायल और डाइल्यूएंट के एम्प्यूल में देंखें कि उनके अंदर किसी भी प्रकार का बाहरी कण या दिखने वाला तत्व तो नहीं है। यह जांच ले कि वैक्सीन वायल और एम्प्यूल पर किसी भी प्रकार की दरार तो नहीं है। यदि इनमें से कोई भी स्थिति हो तो नई वायल /एम्प्यूल का इस्तेमाल करें।
- यह जांच ले कि वैक्सीन वायल और डाइल्यूएंट के एम्प्यूल शीत श्रृंखला में एक ही तापमान में रखे गए हैं।

रिकॉन्स्टिट्यूट करने के दौरान

- एक समय में एक ही वायल को रिकॉन्स्टिट्यूट करें।
- 10 डोज खसरा—रुबैला टीके का रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए उपलब्ध कराए 10 डोज डाइल्फ्यूएंट की पूरी मात्रा का प्रयोग करें।
- संक्रमण बचाव व पूर्ण सावधानी के लिए प्रत्येक वायल को तैयार करने के लिए 5 मि.ली. की नई मिश्रण सिरिंज का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के बाद इसे हब कटर से काट दें। दूसरी वायल को तैयार करने के लिए इस्तेमाल की गई एक ही सिरिंज का पुनः इस्तेमाल कदापि न करें।
- खसरा—रुबैला की वैक्सीन के वायल के लेबल पर रिकॉन्स्टिट्यूट / घोलने का दिनांक एवं समय अंकित कर दे।
- प्रत्येक बच्चे को खसरा – रुबैला की वैक्सीन देने के लिए केवल ए.डी. सिरिंज का ही इस्तेमाल करें।
- ए.डी. सिरिंज में वैक्सीन पहले से भर कर न रखें।

रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद

- हमेशा रिकॉन्स्टिट्यूट की गई वैक्सीन वॉयल को +2 से +8 डिग्री सेन्टीग्रेट के बीच तापमान में रखने के लिए जमें हुए आइसपैक के छेद में ही रखे।
- रिकॉन्स्टिट्यूट की गई वैक्सीन को छाया में रखे।
- कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूट की गई खसरा—रुबैला वैक्सीन को चार घंटे के बाद इस्तेमाल न करे।
- कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूट की गई खसरा—रुबैला वैक्सीन को एक सत्र से दूसरे सत्र पर न ले जाये और न ही इस्तेमाल करें।

खसरा-रुबैला का टीका लगाने के बाद

- सुई पर पुनः ढक्कन लगाने या उसे मोड़ने का प्रयास न करें।
- ए.डी. सिरिंज को हब कटर से काट ले। कटी हुई निडिल हब कटर में रहेगी, जब तक कि उनका चुनी हुई सही जगह पर निस्तारण / निपटान न कर ले।
- कटी हुई ए.डी. सिरिंज के प्लास्टिक भाग को निस्तारित करने के लिए लाल प्लास्टिक की थैली में डाले।
- बच्चे की बाएं हाथ के अगूठे इन्डेलिबल मार्कर पैन से निशान लगाये।
- बच्चे को टीका लगाने के बाद ही टेली शीट में निशान लगा ले।
- टीका लगाने के बाद बच्चे को टीकाकरण कार्ड दें।
- सत्र स्थल पर टीका लगाने के बाद कम से कम 30 मिनट के लिए बच्चे को इंतजार करना होगा।
- प्रत्येक सत्र समाप्त होने पर प्राप्त तथा प्रयोग की गई वैक्सीन, डाइल्यूएंट तथा सिरिंज को दिये गये प्रपत्र में लिखे।

सत्र स्थल पर कोल्ड चेन का प्रबंधन

- सभी टीकाकर्मियों को दो वैक्सीन कैरियर्स दिये जायेगें। सत्र स्थल पर चालू वैक्सीन कैरियर से एक आइस पैक निकालें और आइस पैक के छेद में रिकॉन्स्टिट्यूट की गई वैक्सीन वायल रखें।
- खसरा—रुबैला टीका गर्भी और सूरज की रोशनी के प्रति बेहद संवेदनशील है। टीके के डिब्बे, वैक्सीन वायल या आइस पैक को कभी भी सीधे सूर्य के प्रकाश के सम्पर्क में ना लाएं।
- अगर रिकॉन्स्टिट्यूट की गई वैक्सीन वायल समाप्त हो जाए तो दूसरा वायल तभी निकाले जब बच्चे उपस्थित हो अन्यथा बच्चे आने की प्रतीक्षा करें।
- सत्र के अंत में सभी बिना खुली वैक्सीन वायल और डाइलुएंट आइस पैक के साथ वैक्सीन कैरियर के अंदर रखकर फिर से वैक्सीन वितरण केन्द्र पर भेजा जाना चाहिए।

सत्र स्थल पर टीकाकरण के पश्चात प्रतिकूल प्रभाव का प्रबंधन

- खसरा-रुबैला टीका अत्यधिक सुरक्षित टीका है। लेकिन टीके सहित अन्य दवाईयों की तरह इसके कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी हैं। सामान्य प्रतिकूल प्रभाव हल्के होते हैं और इसके दीर्घकालिक परिणाम कोई नहीं है। एक बेहद दुर्गम और गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव एनाफाइलैक्सिस है।
- यह बेहद जरूरी है कि टीका लगाने वालों को एनाफाइलैक्सिस तथा सामान्य मामूली प्रतिक्रियाओं जैसे बेहोशी, घबराहट और सांस रोकने के बीच अंतर पता होना चाहिए।

सत्र स्थल पर टीकाकरण के पश्चात प्रतिकूल प्रभाव का प्रबंधन

- प्रतिकूल प्रभावों को कैसे प्रबंधित किया जा सकता है—
 - सुपरवाइजर, ए.एन.एम., आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नजदीकी ए.ई.एफ.आई. उपचार प्रबंधन केन्द्र का नाम और मोबाईल नम्बर पता होना चाहिए।
- मामूली ए.ई.एफ.आई. जैसे बुखार आदि के लिए ए.ई.एफ.आई. दिशा निर्देशों के अनुसार पेरासिटामोल के साथ उपचार करें।
 - सत्र आयोजन से पूर्व सुनिश्चित करें कि प्रत्येक टीकाकर्मी के पास Anaphylaxis Kit मौजूद रहे।
- गम्भीर ए.ई.एफ.आई. जैसे Convulsion या Hypersensitive reaction के लिए
 - प्राथमिक उपचार करें, बच्चे को सीधा लिटाएं सुनिश्चित करें कि वायु मार्ग साफ हो।
- नजदीकी ए.ई.एफ.आई उपचार प्रबंधन केन्द्र में तुरंत भेजें
- ए.ई.एफ.आई उपचार प्रबंधन केन्द्र प्रभारी से सम्पर्क करें और स्थिति से अवगत कराएं।
- सुपरवाइजर और चिकित्सा अधिकारी को सूचित करें।

सत्र स्थल पर टीकाकरण के पश्चात प्रतिकूल प्रभाव का प्रबंधन

- यदि टीकाकर्मी को लगता है कि बच्चे को Anaphylaxis हुआ है, तो उम्र के अनुसार उसे Adrenaline IM लगावें तथा बच्चे को निगरानी में रखें। एनाफाइलेक्सिस होने पर निम्नानुसार खुराक दी जायेगी

उम्र (वर्ष में)	निडिल	Dose for single administration in ml (tuberculin) or units (insulin)
0-1		0.05 ml / 2 units
1-6		0.1 ml / 4 units
6-12		0.2 ml / 8 units
12-18		0.3 ml / 12 units
Adults		0.5 ml / 20 units

प्रत्येक प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ए.ई.एफ.आई. किट की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

टीकाकरण सत्रों का प्रकार

इस अभियान में 4 प्रकार के टीकाकरण सत्र आयोजित होंगे

- **स्कूल अभियान:** सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों तथा समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थानों में।
- **फिक्स सत्र:** मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय एवं सैटेलाइट हॉस्पीटल आदि।
- **आउटरीच सत्र:** आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र एवं नियमित टीकाकरण हेतु चिह्नित अन्य सत्र स्थल जहां वैक्सीन डिपो नहीं हैं।
- **मोबाइल टीम:** दूर-दराज के गाँव/ढाणी/बस्ती।

टीकाकरण सत्र का समय

- स्कूल में लगने वाले टीकाकरण सत्र, स्कूल के समय के अनुसार लगाये जायेगे तथा कोषिष रहे कि सभी लक्षित बच्चों का टीकाकरण एक दिन में ही पूर्ण कर लिया जाये।
- फिक्सड सत्र – जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय एवं सैटेलाइट हॉस्पीटल आदि सत्र स्थल पर अभियान के दौरान टीकाकरण का समय प्रातः 8 बजे सायं 4 बजे तक रहेगा।
- आउटटीच सत्र – आउटरीच और तय स्थलों पर अभियान सत्र प्रातः 9 से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगे। टीकाकर्मी तथा आषा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नियमित कार्य हेतु सायं 4 बजे तक कार्य कर सकते हैं।
- मोबाइल सत्र – मोबाइल/विशेष टीकाकर्मियों की टीम को विशेष जनसंख्या के समूहों तक पहुंचने के लिए मोबाइल सत्र आयोजित किए जावें। आवश्यकता एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर टीकाकरण सत्र के समय निर्धारित कर सकते हैं।

खसरा—रुबैला टीकाकरण अभियान की समयावधि

यह अभियान लगभग 5 सप्ताह तक चलेगा। अभियान में निम्नानुसार गतिविधियां आयोजित की जायेगी—

- प्रथम चरण में स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों को यह टीका दिया जाएगा। सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों को यह टीका स्कूल में ही लगाया जायेगा। इस चरण में 2 से 3 सप्ताह तक का समय लग सकता है।
- दूसरे चरण में 9 माह से 15 वर्ष के स्कूल नहीं जाने वाले छोटे या बड़े बच्चे अथवा किन्हीं कारणों से स्कूल में टीका लगने से छूटे हुए बच्चों को, यह टीका, आंगनवाड़ी केन्द्र/उपकेन्द्र या अन्य तय किए गए स्थानों पर लगाया जाएगा।
- इन सत्रों के पश्चात छूटे हुए बच्चों वाले क्षेत्र, स्कूल व सुपरविजन/मोनीटरिंग के आधार पर कम कवरेज वाले स्थानों पर स्वीपिंग/रिपीट एकटीविटी की जायेगी।

घर—घर जाकर टीकाकरण नहीं किया जायेगा।

ध्यान रहे— निम्न बच्चों को टीका नहीं लगाना है

- गंभीर रोग से ग्रस्त, 102 डिग्री से अधिक बुखार, अस्पताल में भर्ती बच्चे।
- पूर्व में खसरे के टीके, नियोमाइसिन, जेलेटिन से एलर्जी की शिकायत वाले बच्चे।
- गंभीर रूप से प्रतिरक्षण शक्ति में कमी जैसे एच.आई.वी. की गंभीर अवस्था, कैंसर की गंभीर अवस्था, स्टीरोयड द्वारा इलाज, आदि वाले बच्चे।

टीम सदस्यों की भूमिका

- अभियान का सफल एवं प्रभावषाली क्रियान्वयन प्रत्येक टीकाकरण सत्र की एक टीम के द्वारा किया जाना है। प्रत्येक टीम में एक टीकाकर्मी, एक आषा/लिंक वर्कर, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं एक वॉलेटियर/अध्यापक होना चाहिए। कोशिश करें कि प्रत्येक स्कूल एक ही दिन में कवर हो जाये। प्रत्येक 200 छात्रों पर एक टीम होनी चाहिए। आउटरीच सत्र हेतु प्रत्येक 150 लक्षित बच्चों के लिए एक टीम के द्वारा टीकाकरण किया जाएगा।

सभी टीम सदस्यों की निम्नानुसार जिम्मेदारी होगी

टीकाकर्मी	आशा / आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	वॉलेंटियर / स्वयंसेवक
<ul style="list-style-type: none">प्रशिक्षण एवं आमुखीकरण कार्यषाला में भाग लेना।अपने क्षेत्र का माइक्रोप्लान तैयार करना।सभी लाभार्थियों की ड्यू लिस्ट तैयार करना।समुदाय के लोगों के साथ जानकारी साझा करना।शीत श्रृंखला प्रबंधन करना।कचरे का सुरक्षित निस्तारण एवं प्रबंधन।रिकार्डिंग एवं रिपोर्टिंगटीम के सदस्यों के साथ समन्वय एवं सहयोग।अभियान में छूटे हुए बच्चों का बाद में टीकाकरण सुनिष्ठित करना।	<ul style="list-style-type: none">प्रशिक्षण एवं आमुखीकरण कार्यषाला में भाग लेना।अपने क्षेत्र का माइक्रोप्लान तैयार करने में एएनएम का सहयोग करना।सभी लाभार्थियों की ड्यू लिस्ट तैयार करने में सहयोग करना।ड्यू लिस्ट के आधार पर बच्चों को टीकाकरण के लिए सत्र स्थल तक बुलाना व समुदाय के लोगों के साथ जानकारी साझा करना।बच्चे को टीका लगाने के बाद बांयें हाथ के अंगूठे पर मार्कर पेन से निशान लगाना।टीकाकरण के उपरान्त लाभार्थियों को सत्र स्थल पर 30 मिनिट के लिए रुकने के लिए कहना।अभियान में छूटे हुए बच्चों को नजदीक के टीकाकरण स्थल तक लाना।आईईसी सामग्री का उचित स्थान पर प्रदर्शन करना।टीकाकरण कार्ड तैयार कर देना।	<ul style="list-style-type: none">सत्र आयोजन के दौरान समुदाय व लाभार्थियों का सहायक वातावरण बनाने में सहयोग करना।ड्यू लिस्ट के आधार पर बच्चों को टीकाकरण लिए सत्र स्थल तक बुलाना व समुदाय के लोगों के साथ जानकारी साझा करना।बच्चे को टीका लगाने के बाद बांयें अंगूठे पर मार्कर पेन से निशान लगाने में सहयोग करना।टीकाकरण के उपरान्त लाभार्थियों को सत्र स्थल पर 30 मिनिट के लिए रुकने के लिए कहना।अभियान में छूटे हुए बच्चों को नजदीक के टीकाकरण स्थल तक लाना।आईईसी सामग्री का उचित स्थान पर प्रदर्शन करना।

प्रचार-प्रसार की गतिविधियां

अभियान के बारे में जनजागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है। प्रचार प्रसार समुदाय के बीच अभियान के बारे में सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायक होगा। विभाग के द्वारा प्रत्येक स्तर पर प्रचार प्रसार करने हेतु सम्बंधित आई.ई.सी. सामग्री उपलब्ध करवायी जायेगी। इस अभियान में समुदाय की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए निम्न गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं—

- अभियान का स्कूल वार / गांव वार माइक्रोप्लान निर्धारित होने के पश्चात् प्रत्येक लाभार्थी के लिए सूचना पत्र वितरित किये जायेंगे। यह कार्य आशा सहयोगिनी द्वारा किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में आशा सहयोगिनी नहीं है, उन जगहों पर यह कार्य नियमित टीकाकरण हेतु अन्य चिह्नित सोशियल मोबिलाईजर द्वारा करवाया जा सकता है किन्तु क्षेत्र की ए.एन.एम. की यह जिम्मेदारी होगी कि प्रत्येक लाभार्थी के अभिभावक तक टीकाकरण हेतु नियत दिवस से पूर्व सूचना पत्र मिल जावे।

प्रचार-प्रसार की गतिविधियां

- स्कूलों को कम से कम एक माह पूर्व अभियान की तिथि की जानकारी दी जावे तथा वहां के प्रधानाचार्य को टीकाकरण हेतु प्रेरित किया जावे। समय रहते छात्रों की डायरी के माध्यम से अभिभावकों को सूचित करवाया जावे।
- वी.एच.एस.एन.सी. की अभियान से पूर्व बैठकें आयोजित करवाई जावे।
- सामाजिक एवं धार्मिक नेताओं को अभियान की जानकारी दी जावे व उनसे पूर्ण सहयोग लिया जाए।
- विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाये गये पोस्टर/बैनर/होर्डिंग आदि को उचित स्थान पर प्रदर्शित करें ताकि समुदाय के बीच संदेश पहुंच जाये।

वैक्सीन का भंडारण

- इस वैक्सीन को ILR में +2 से +8 डिग्री से. के तापमान पर रखा जाएगा।
- इस अभियान में अधिक मात्रा में MR वैक्सीन प्राप्त होगा, जिसे रखने के लिये ILR में जगह बनाना आवश्यक है, अतः ILR में रखे हुए वैक्सीन को अलग—अलग जिपर बैग में रखकर इन्हें एक या दो प्लास्टिक के डिब्बों में रख दें। शेष प्लास्टिक के डिब्बों को अस्थायी रूप से ILR से बाहर निकाल दें। अभियान के MR वैक्सीन को प्लास्टिक के डिब्बों में रखने की आवश्यकता नहीं है।
- अभियान के दौरान अधिक मात्रा में वैक्सीन प्राप्त होने पर Diluent रखने हेतु ILR में जगह पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी किन्तु Diluent को एक दिन की आवश्यकता के आधार पर उपयोग से 24 घंटे पूर्व ILR में रखना आवश्यक है।
- वैक्सीन कैरियर पैक करते समय 4 फ्रोजन आइस पैक्स रख कर टीकाकरण सत्र पर भेजें।
- विशेष परिस्थितियों में भंडारण हेतु अलग से डीप फ्रीजर दिये जाने पर इस वैक्सीन का भंडारण डीप फ्रीजर में किया जा सकता है। यह वैक्सीन जमाव बिन्दु यानी 0 डिग्री से. से नीचे तापमान पर खराब नहीं होता है।

वैक्सीन का भंडारण

- वैक्सीन की बिना खुली वॉयल एवं Diluent एम्प्यूल ILR में यथास्थान रखें। इन वॉयल की प्राप्ति वैक्सीन स्टाक रजिस्टर में दर्शाएं।
- अधूरी काम में ली गई तथा खाली वॉयल की गणना कर अगले 48 घंटे हेतु अलग से वैक्सीन केरियर या कोल्ड बॉक्स में शीत श्रृंखला बनाए रखते हुए सुरक्षित रखें। 48 घंटे बाद इनका निस्तारण करें।
- अगले दिन की आवश्यकतानुसार Diluent के एम्प्यूल ILR में रखें।
- वापस प्राप्त आइस पैक्स को जमने हेतु DF में रखें।
- यदि आपके पास डीप फ्रीजर में भी MR वैक्सीन का भडारण किया जा रहा हो तो, पहले डीप फ्रीजर में उपलब्ध वैक्सीन का उपयोग करे एवं जिस डीप फ्रीजर में वैक्सीन है उसमें जमने हेतु आइस पैक्स नहीं रखें।

सत्र स्थल को भेजे जाने वाली वैक्सीन तथा अन्य सामग्री का विवरण

- इन्जेक्शन लोड के आधार पर वैक्सीन को वैक्सीन केरियर में 4 फ्रोजन आइस पैक्स रख कर भेजा जायेगा
- प्रत्येक सत्र में दो वैक्सीन केरियर दिये जावेंगे
- वैक्सीन वॉयल की संख्या अनुरूप Diluent भी वैक्सीन केरियर में रखे जायेंगे
- टीका लगाने के बाद प्रत्येक लाभार्थी के बाएं हाथ के अंगूठे पर निशान लगाने के लिए मार्कर पेन
- टीकाकरण कार्ड
- टेली शीट
- पर्याप्त मात्रा में 0.5 एम.एल. की AD Syringe
- पर्याप्त मात्रा में 5.0 एम.एल. की Disposable Syringes
- हाथ धोने हेतु साबुन / Sanitizer Bottle
- लाल व काली थैली
- हब-कटर टीकाकर्मी स्वयं साथ में लेकर जाएंगे
- एनाफाइलेक्सिस किट जिसमें (Inj. Adrenaline) हो

एम.आर टीकाकरण अभियान के दौरान “क्या करें” और “क्या नहीं करें”

क्या करें	क्या नहीं करें
<ul style="list-style-type: none">• 9 माह से 15 वर्ष तक के समस्त बच्चों के एमआर वैक्सीन देना हैं	<ul style="list-style-type: none">• एमआर वैक्सीन का टीकाकरण न करें यदि बच्चा गंभीर रोग से ग्रस्त, 102 डिग्री से अधिक बुखार, अस्पताल में भर्ती, पूर्व में खसरा के टीके, नियोमाइसिन, जेलेटिन से एलर्जी की शिकायत हो। गंभीर रूप से प्रतिरक्षण शक्ति में कमी जैसे एच.आई.वी. की गंभीर अवस्था, कैंसर की गंभीर अवस्था, स्टीरोयड द्वारा इलाज, आदि
कोल्ड चेन संधारण	
<ul style="list-style-type: none">• डाइलुएंट तथा वैक्सीन एक ही सप्लायर का होना चाहिए।• वीवीएम तथा अन्तिम उपयोग की तिथि देखकर वैक्सीन तथा डाइलुएंट का उपयोग करें• सत्र समाप्ति के बाद वैक्सीन तथा डाइलुएंट को वैक्सीन कैरियर में रखें +02 से +08 डिग्री सेटीग्रेट को बनाये रखने के लिए एम.आर वैक्सीन को आइस पैक्स के छेद में रखें	<ul style="list-style-type: none">• वैक्सीन को सीधे धूप व प्रकाष में तथा वैक्सीन कैरियर को खोलकर नहीं रखें। बार बार वैक्सीन कैरियर को न खोलें।• एक्सपायरी तथा वीवीएम खराब हो चुके वैक्सीन का उपयोग न करें• एक्सपायरी तथा वीवीएम 3 तथा 4 स्टेज की वैक्सीन को आई.एल.आर में नहीं रखें। रिकॉन्स्टिट्यूट की गई वैक्सीन को आइस पैक्स के बिना छेद में रखे उपयोग में नहीं ले।

एम.आर टीकाकरण अभियान के दौरान “क्या करें” और “क्या नहीं करें”

क्या करें	क्या नहीं करें
MR वैक्सीन का टीकाकरण	
<ul style="list-style-type: none">•प्रत्येक इंजेक्शन के लिए नयी एडी सिरिंज का उपयोग करें। प्रत्येक बार रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए नयी डिस्पोजेबल सिरिंज का प्रयोग करें।•रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए पूरा डाइलुएंट का प्रयोग करें।•एमआर वैक्सीन की वायल पर रिकॉन्स्टिट्यूट करने का समय तथा तिथि लिखें।•एम.आर. का टीका 0.5 एम.एल. उपरी दाईं बांह में सबक्यूटेनियस रूट के माध्यम से देना है।•एईएफआई के बारे में लाभार्थी तथा अभिभावक को बताये।•टीकाकरण के सत्र स्थल पर कम से कम 30 मिनट प्रतीक्षा करने को कहे।	<ul style="list-style-type: none">•रिकॉन्स्टिट्यूट करने के 4 घंटे के बाद वैक्सीन को उपयोग में न ले।•रिकॉन्स्टिट्यूट की हुई वैक्सीन को एक सत्र से दूसरे सत्र पर न लें जाएं।•एक बार उपयोग में ली गई डिस्पोजेबल सिरिंज को दुबारा उपयोग में न ले।•सुई के किसी भी हिस्से को न छुए और न ही रिकैप/बेन्ड करें। पहले से ही वैक्सीन को सिरिंज में न भरें।

एम.आर टीकाकरण अभियान के दौरान “क्या करें” और “क्या नहीं करें”

क्या करें	क्या नहीं करें
कचरा निस्तारण	
<ul style="list-style-type: none">●इंजेक्षन लगाने के तुरंत बाद सिरिंज के हब को हब कटर में काटें।●उपयोग की गयी एडी सिरिंज के प्लास्टिक के भाग को लाल प्लास्टिक बैग में डालें।	<ul style="list-style-type: none">●उपयोग की गयी सिरिंज तथा सुई को टेबिल तथा फर्श पर न रखें।
रिकार्डिंग तथा रिपोर्टिंग	
<ul style="list-style-type: none">●बच्चे के बांये हाथ के अंगूठे पर निषान लगाये।●टीकाकरण करने के बाद तुरंत टेलीषीट पर मार्क करें●टीकाकरण कार्ड में प्रत्येक बच्चे का टीकाकरण अंकित करें।	<ul style="list-style-type: none">●टेली शीट में मार्किंग टीकाकरण सत्र के प्रारम्भ से पहले या समाप्ति के बाद नहीं किया जाना है। इससे गलती होने की सम्भावना अधिक हो जाती है।

एम.आर टीकाकरण अभियान के दौरान “क्या करें” और “क्या नहीं करें”

क्या करें	क्या नहीं करें
ए.ई.एफ.आई सम्बंधी	
<ul style="list-style-type: none">●यदि कोई गम्भीर ए.ई.एफ.आई का केस रिपोर्ट होता है तो उसको प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत ए.ई.एफ.आई प्रबंधन केन्द्र को रेफर करें।●ए.ई.एफ.आई केस की सूचना पर्यवेक्षक तथा केन्द्र को दे।●यदि मामूली ए.ई.एफ.आई केस रिपोर्ट होता है तो प्रबंधन करके सांत्वना प्रदान करें।●समस्त ए.ई.एफ.आई केस को ब्लाक ए.ई.एफ.आई रजिस्टर में रिकार्ड करना है।	<ul style="list-style-type: none">●ए.ई.एफ.आई केस की रिपोर्टिंग, प्राथमिक उपचार, रेफरल में देरी न करें अन्यथा बच्चे की मौत हो सकती है।●समस्त ए.ई.एफ.आई केस को ब्लाक ए.ई.एफ.आई रजिस्टर में रिकार्ड करना भूले नहीं।

एम.आर टीकाकरण अभियान के दौरान “क्या करें” और “क्या नहीं करें”

क्या करें

क्या नहीं करें

प्रचार – प्रसार गतिविधियाँ

- खसरा-रुबैला वैक्सीन के प्रति समुदाय को जनजागरूक किया जाये।
- उपलब्ध पोस्टर/बैनर आदि को सही जगह प्रदर्शन किया जाये।
- यदि किसी बच्चे के अभिभावक अपने बच्चे को टीका लगवाने के लिए विरोध करते हैं तो बच्चे को जबरन टीका न लगाये। ऐसे अभिभावकों को खसरा-रुबैला वैक्सीन के बारे में पूरी समझाइश करें, समझाने में आशा, ए.एन.एम, चिकित्सक, स्थानीय जन-प्रतिनिधि व प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग ले। यह प्रयास किया जाये कि वह अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए सहमत हो जाये।

- खसरा-रुबैला वैक्सीन की आईईसी सामग्री को खराब न करें।

अभियान हेतु पूर्व तैयारी

- खसरा—रुबैला टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए जरूरी है कि हम उसकी अच्छी तैयारी करें तथा मजबूत योजना बनाये। जिसमें सत्रवार माइक्रोप्लानिंग, संचार योजना, ए.ई.एफ.आई प्रबंधन योजना, संसाधन योजना तथा रिपोर्टिंग प्रमुख है। ए.एन.एम. को आषा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से अपने कार्यक्षेत्र की कार्ययोजना बनानी है। माइक्रोप्लान में 9 माह से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों की लाइनलिस्ट तैयार की जानी है। सत्र योजना बनाने हेतु सभी स्कूलों के नाम, स्कूल वार छात्र—छात्राओं की संख्या, स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या, छोटे बच्चों की संख्या भी संकलित की जानी है।
- इन योजनाओं हेतु निम्न प्रपत्र उपलब्ध कराये गये हैं।

कार्यक्रम हेतु योजना प्रपत्र जानकारी

प्रपत्र संख्या	प्रपत्र का नाम	जिम्मेदारी
स्कूल तथा उपकेन्द्र स्तर के आधारभूत जानकारी		
प्रपत्र 1	स्कूल सूचना एवं लक्ष्य निर्धारण प्रपत्र	स्कूल के प्रधानाचार्य
प्रपत्र 2	उप केन्द्र/शहरी स्वास्थ्य केन्द्र – स्कूल सत्रों हेतु आधारभूत जानकारी	सम्बंधित ए.एन.एम.
प्रपत्र 3	उप केन्द्र/शहरी स्वास्थ्य केन्द्र – आउटरीच सत्रों की आधारभूत जानकारी	सम्बंधित ए.एन.एम
प्रपत्र 4 A	स्कूल कार्य योजना	सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी
प्रपत्र 5	आउटरीच सत्र कार्य योजना	सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी
प्रपत्र 5 A	मोबाइल सत्र कार्य योजना	सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी

कार्यक्रम हेतु योजना प्रपत्र जानकारी

प्रपत्र संख्या	प्रपत्र का नाम	जिम्मेदारी
स्कूल तथा उपकेन्द्र स्तर के आधारभूत जानकारी		
प्रपत्र 6 A	सेक्टर/शहरी क्षेत्र वार वैक्सीन एवं लॉजिस्टिक्स योजना	सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी
प्रपत्र 6 B	सेक्टर/शहरी क्षेत्र वार मानव संसाधन संकलन प्रपत्र	सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी
प्रपत्र 6 D	सेक्टर/शहरी क्षेत्र वार टीकाकर्मी रोस्टर	सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी
प्रपत्र 6 E	जिला/प्लानिंग युनिट कोल्ड चैन योजना प्रपत्र	सम्बंधित कोल्ड चैन पाइन्ट चिकित्सा अधिकारी /आरसीएचओ
प्रपत्र 6 F	कोल्ड चैन Contingency Plan	सम्बंधित कोल्ड चैन पाइन्ट चिकित्सा अधिकारी /आरसीएचओ
प्रपत्र 6 G	सेक्टर/शहरी क्षेत्र वार कचरा प्रबंधन योजना	सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी
प्रपत्र 6 H	जिला वैक्सीन एवं लोजिस्टिक योजना प्रपत्र	सम्बंधित आरसीएचओ
		35

कार्यक्रम हेतु योजना प्रपत्र जानकारी

प्रपत्र संख्या	प्रपत्र का नाम	जिम्मेदारी
स्कूल तथा उपकेन्द्र स्तर के आधारभूत जानकारी		
प्रपत्र 7 D	प्लानिंग युनिट संचार योजना	सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी
प्रपत्र 7 C	जिला स्तरीय संचार योजना	सम्बंधित आरसीएचओ
प्रपत्र 7 E	उप केन्द्र/शहरी स्वास्थ्य केन्द्र संचार योजना	सम्बंधित ए.एन.एम
प्रपत्र 8 A	प्लानिंग यूनिट पर्यवेक्षण योजना	सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी
प्रपत्र 8 B	जिला स्तरीय पर्यवेक्षण योजना	सम्बंधित आरसीएचओ
प्रपत्र 20	जिला स्तरीय एमआर कार्ययोजना सकलन प्रपत्र	सम्बंधित आरसीएचओ

कार्यक्रम हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्र जानकारी

प्रपत्र संख्या	प्रपत्र का नाम	जिम्मेदारी
प्रपत्र 9 A	स्कूल का कक्षावार रिपोर्टिंग प्रपत्र	प्रधानाध्यपक के द्वारा
प्रपत्र 9 B	कक्षा वार छुटे बच्चों का रिपोर्टिंग प्रपत्र	प्रधानाध्यपक के द्वारा
प्रपत्र 9 C	सेक्टर/शहरी क्षेत्र की स्कूल वार कवरेज रिपोर्टिंग प्रपत्र	सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी
प्रपत्र 10	टीकाकर्मी टेलीशीट	सम्बंधित टीकाकर्मी
प्रपत्र 11	पर्यवेक्षक जॉच प्रपत्र	सुपरवाईजर
प्रपत्र 12	दैनिक कवरेज रिपोर्ट— सुपरवाईजर स्तर	सुपरवाईजर
प्रपत्र 13	दैनिक कवरेज रिपोर्ट— सेक्टर/शहरी क्षेत्र स्तर	प्लानिंग युनिट के चिकित्सा अधिकारी
प्रपत्र 14	दैनिक कवरेज रिपोर्ट— जिला स्तरीय	आरसीएचओ

कार्यक्रम हेतु योजना प्रपत्र जानकारी—प्रपत्र 1

MR अभियान फॉर्म 1

खसरा रुबैला अभियान राजस्थान – 2019

स्कूल सूचना एवं लक्ष्य निर्धारण प्रपत्र (स्कूल द्वारा भरा जाना है।)

(स्कूल के प्रधानाध्यापक इस जानकारी को BEEO के माध्यम से खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 30 अप्रैल 2019 तक भिजवाना करना सुनिश्चित करें)

खण्ड / शहरी क्षेत्र	सैक्टर प्लानिंग यूनिट	स्कूल का नाम	स्कूल में वाहन की उपलब्धता: हाँ / नहीं	
पता (ग्राम / शहरी क्षेत्र) :				
सरकारी / निजी / मदरसा / प्ले-स्कूल / अन्य (गोला करें) :	सह-शिक्षा / केवल छात्रों के लिए / केवल छात्राओं के लिए (गोला करें)			
प्रधानाध्यापक / प्रभारी का नाम एवं टेलीफोन संख्या :				
MR vaccination Campaign हेतु स्कूल के नोडल पदाधिकारी का नाम एवं मोबाइल न0 :				
कक्षा के शिक्षक की प्रशिक्षण की आयोजन तिथि:- स्कूल का समय :-.....से.....				
शिक्षक एवं छात्र / छात्राओं का विवरण				
कक्षा / सेवशन	कक्षा दशम तक के बच्चे जो उस कक्षा / सेवशन में पढ़ते हैं	कक्षा के शिक्षक का नाम एवं टेलीफोन संख्या	PTM आयोजन की तिथि	शिक्षक-छात्र पारस्परिक विचार विमर्श आयोजन की तिथि

नोट : इस प्रपत्र मे बच्चों कि संख्या सेवशन वार भरें।

प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

इस प्रपत्र को अतिशीघ्र तैयार सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी को जमा कराना है।

कार्यक्रम हेतु योजना प्रपत्र जानकारी—प्रपत्र 2

खसरा रुबैला अभियान राजस्थान – 2019

MR अभियान फॉर्म 2

जिला : _____

उप केन्द्र / शहरी क्षेत्र

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी का नाम : _____

ਖਣਡ / ਸ਼ਹਰੀ ਕ੍ਸੇਤਰ : _____

सैक्टर प्लानिंग यूनिट _____

स्कूल के प्रत्येक बच्चे की सूची बनायें। हो सकता है वह अन्य गांव से हो।

कार्यक्रम हेतु योजना प्रपत्र जानकारी—प्रपत्र 3

खसरा रुबैला अभियान राजस्थान – 2019

MR अभियान फॉर्म 3

उप केन्द्र / शहरी स्वास्थ्य केन्द्र की आधारभूत जानकारी (एएनएम द्वारा भरा जायेगा)

जिला : _____

ਖੱਡ / ਸ਼ਹਰੀ ਕ्षੇਤਰ : _____

सैक्टर प्लानिंग यूनिट :-

उप केन्द्र / शहरी क्षेत्र

पर्यवेक्षक का नाम :

स्वास्थ्य कार्यकर्ता का

नाम

* अनुमानित लाभार्थियों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 29 प्रतिशत लिया जा सकता है। प्रति 1000 में 290 लाभार्थी अनुमानित हैं।

कार्यक्रम हेतु योजना प्रपत्र जानकारी—प्रपत्र 4 A

खसरा रुबैला टीकाकरण अभियान राजस्थान – 2019

MR अभियान फॉर्म 4A

स्कूल कार्य योजना (सैक्टर प्लानिंग यूनिट/शहरी क्षेत्र द्वारा भरा जायेगा)

जिला: _____

खंड/शहरी क्षेत्र: _____

सैक्टर प्लानिंग यूनिट :-

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी :-

क्रम सं. 0	उपकेन्द्र का नाम	ग्रामीण/शहरी क्षेत्र का नाम (फार्म 3 के द्वारा यह सुनिश्चित करें कि सभी क्षेत्र को माइकोप्लान में शामिल किया गया है)	टीकाकरण की तिथि (सबसे अंत में भरें)	स्कूल/संस्थान का नाम (फार्म 1.2 एवं 3 के द्वारा यह सुनिश्चित करें कि क्षेत्र के सभी स्कूल/मदरसा/अन्य शिक्षण संस्थन को माइकोप्लान में शामिल किया गया है)	पर्यवेक्षक का नाम कोलडेन खाइट से दूरी	टीकाकरण का समय (स्कूल समय के अनुसार)	कुल लाभान्वितों की संख्या	टीकाकर्मी की संख्या = (इ/200)	टीम का विवरण		स्कूल के नोडल शिक्षक		लाजिरिटिक की आवश्यकता						AEFI
									टीम का विवरण	स्कूल के नोडल शिक्षक	नाम	मोबाइल नं.	खसरा रुबैला बैचिस्पन वायलों की संख्या (10 डोज प्रति वायल) ($E \times 1.11 / 10$)	खसरा रुबैला डाइट्रोट की संख्या (=M)	AD (0.5 ml) स्थिरिंज (gx 1.1.1)	घोल बनाने वाली स्थिरिंजों की संख्या (5 ml) (=M)	हव-कटर एवं वांचल भारकर धैन (1 प्रति वैक्सिनेटर हेतु)	लाल प्लास्टिक बैग	

एक स्कूल में सभी बच्चों का टीकाकरण एक ही दिन में किये जाने हेतु आवश्यक टीकाकर्मी भेजना सुनिश्चित करें एवं एक पंक्ति में एक टीम का विवरणी भरें।

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v
									1. 2. 3.	1. 2. 3.												
									1. 2. 3.	1. 2. 3.												

कार्यक्रम हेतु योजना प्रपत्र जानकारी—प्रपत्र 5

खसरा रुबैला टीकाकरण अभियान राजस्थान –2019

MR अभियान फॉर्म 5

आउटरीच कार्य योजना (ब्लॉक/प्लानिंग यूनिट/शहरी क्षेत्र द्वारा भरा जायेगा)

जिला :

खण्ड/शहरी क्षेत्र :

सैकटर प्लानिंग यूनिट :-

शहरी क्षेत्र/स्वास्थ्य उप केन्द्र :

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर:

क्र. स.	उपकेन्द्र का सं. नाम	गांव/शहरी क्षेत्र/ढाणी/मजरे का नाम	टीकाकरण का दिनांक (सबसे अंत से भरें)	सत्र स्थल का स्थान	क्षेत्र का प्रकार (समान्य/दूरस्त /हाइरिस्क)	कोल्डचेन पोइंट से दुरी	टीका करण का समय	9 माह से 15 वर्ष तक के कुल लाभार्थियों की संख्या (फार्म 3 से)	आउटरीच सत्र के लिये लाभार्थियों की संख्या (G/4)	टीकाकर्मी की संख्या (G/150)	टीम का विवरण				Logistics की आवश्यकता				AEFI										
											A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
											1.																		
											2.																		
											1.																		
											2.																		

मार्कर पेन (1 pen /250 beneficiaries)

एम आर टीकाकरण कार्ड (=HX1.11)

एईएफआई भैनेजमेंट सेंटर का पता एवं मोबाइल नम्बर

कार्यक्रम हेतु योजना प्रपत्र जानकारी—प्रपत्र 5 A

खसरा रुबैला टीकाकरण अभियान राजस्थान –2019

MR अभियान फॉर्म 5 A

मोबाइल कार्य योजना

(ब्लॉक/प्लानिंग युनिट/शहरी क्षेत्र द्वारा भरा जायेगा)

जिला : _____

खण्ड/शहरी क्षेत्र : _____

सैक्टर प्लानिंग यूनिट :-

शहरी क्षेत्र/स्वास्थ्य उप केन्द्र :

प्रभारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर:

क्र. स.	टीकाकरण का दिनांक (सबसे अंत में भरें)	ठाणी/इट भट्टों/निर्माणाधीन स्थल के नाम	सत्र स्थल का स्थान	क्षेत्र का प्रकार (1,इट भग 2,घुमन्तू अबादी 3, निर्माणाधीन स्थल 4 अन्य)	कोल्डचेन पोइंट से दूरी	टीकाकरण का समय	9 माह से 15 वर्ष तक के कुल लाभार्थियों की संख्या (फार्म 3 से)	टीकाकरण को संख्या	टीम का विवरण			Logistics की आवश्यकता						AEFI										
									A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
									1.	1.	2.																	

मार्कर पेन (1 pen /250 beneficiaries)

एम आर टीकाकरण कार्ड (=GX1.11)

एईएफआई ऐनेजमेंट सेंटर का पता
एवं मोबाइल नम्बर

कार्यक्रम हेतु योजना प्रपत्र जानकारी—प्रपत्र 6 A

खसरा रुबैला टीकाकरण अभियान, राजस्थान – 2019

MR अभियान फॉर्म 6A

खण्ड/शहरी क्षेत्र वैक्सिन एवं लॉजिस्टिक्स प्लान (ब्लॉक/प्लानिंग युनिट/शहरी क्षेत्र द्वारा भरा जायेगा)

जिला : _____

खण्ड/शहरी क्षेत्र : _____

सैक्टर प्लानिंग युनिट _____

क्रम सं	उप-केन्द्र/ शहरी क्षेत्र	लक्ष्य (09 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों की सं.) (फॉर्म 3 से संकलन करें)	टीकाकरण खण्ड					लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता								
			स्कूल में टीकाकरण सत्रों की संख्या	आउटरीच में टीकाकरण सत्रों की संख्या	मोबाइल टीकाकरण सत्रों की संख्या	अस्पतालों में नियत या Fixed टीकाकरण सत्रों की संख्या (DH / SDH / Satellite Hosp. / Medical College)	कुल टीकाकरण सत्रों की संख्या (C + D + E + F)	खसरा रुबैला वैक्सिन वायलों की संख्या (10 डोज प्रति वायल) (B x 1.11)/10	खसरा रुबैला डाइलुरेंट एम्पुल की संख्या (=H)	AD (0.5 ml) सीरिज (Bx 1.11)	घोलक (Reconstitutio n) सीरिज की संख्या (5 ml) (=H)	** हब-कटर एवं वॉयल मारकर पेन (1 प्रति वैक्सीनेटर हेतु)	लाल झोला की संख्या J+K/50	काला झोला की संख्या GX2 (100 ग्राम पैक)	लई/कपास रोल (100 ग्राम पैक)	MR कार्ड (=B x 1.11)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q

कार्यक्रम हेतु योजना प्रपत्र जानकारी—प्रपत्र 6 ब

खसरा रुबैला टीकाकरण अभियान, राजस्थान – 2019

MR अभियान फॉर्म 6B

खण्ड / शहरी प्लानिंग यूनिट के अनुसार मानव संसाधन संकलन प्रपत्र (खण्ड / जिला द्वारा भरा जायेगा)

जिला: _____

ग्रामीण / शहरी प्लानिंग युनिट: _____

MO/ DRCHO का नाम: _____

क्रम सं	खण्ड/सैक्टर/शहरी प्लानिंग युनिट का नाम	MR Campaign हेतु वैक्सीनेटर प्लानिंग							सुपरवाइजर	वाहन की प्लानिंग	
		MR campaign हेतु उपलब्ध ए0 एन0 एम0 की संख्या	फिक्सड सत्र स्थलों (Medical College/DH/SDH/Satellite) हेतु अन्य टीकाकर्मियों की संख्या	कुल ए0 एन0 एम0 कार्य दिवस की संख्या	प्लानिंग युनिट द्वारा HIRED टीकाकर्मियों की संख्या	प्लानिंग युनिट द्वारा HIRED टीकाकर्मियों हेतु कार्य दिवस की संख्या	प्लानिंग युनिट द्वारा HIRED टीकाकर्मियों/ए0 एन0 एम0 हेतु कार्य दिवस की संख्या G= D+F	कैम्पेन हेतु कुल (टीकाकर्मी दिनों की संख्या)	ए0 एन0 एम0/टीकाकर्मियों हेतु दिनों की अधिकता (+) या कमी (-)	कुल सुपरवाइजर J = i/3 (B+E/3)	कार्ययोजना हेतु वाहनों की संख्या
A	B	C	D	E	F	G	H	i	J	k	l

कार्यक्रम हेतु योजना प्रपत्र जानकारी—प्रपत्र 6 D

MR अभियान फॉर्म 6D

खसरा रुबैला टीकाकरण अभियान, राजस्थान – 2019

प्लानिंग यूनिट एरिया – एएनएम / टीकाकर्मी का सत्र के अनुसार रोस्टर (ब्लॉक / शहरी क्षेत्र द्वारा भरा जायेगा)

जिला _____ पी.एच.सी. / शहरी क्षेत्र : _____ रवास्थ्य उप केन्द्र / वार्ड : _____

चिकित्सा अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर : _____ टीकाकर्मी का नाम एवं मोबाइल नम्बर : _____

पदनाम : ANM / Hired ANM / GNM / अन्य (specify) टीकाकर्मी का कुल कार्य दिवस : _____ टीकाकर्मी का अन्य प्लानिंग यूनिट में कुल कार्य दिवस : _____

दिन दिनांक	एम आर अभियान सत्र स्थल का लोकेशन				
	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5
टीकाकरण स्थल का विवरण एवं समय					
कैटेगरी:					
प्रतिनियुक्त : हाँ / नहीं एम आर पयवक्षक का नाम एवं मात्रा –					
ए.वी.डी. का नाम एवं मोबाइल नम्बर					
मोबिलाईजर का नाम एवं मोबाइल नम्बर	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2
दिन दिनांक	Day 6				
	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	
टीकाकरण स्थल का विवरण एवं समय					
कैटेगरी:					
प्रतिनियुक्त : हाँ / नहीं एम आर पयवक्षक का नाम एवं मात्रा –					
ए.वी.डी. का नाम एवं मोबाइल नम्बर					
मोबिलाईजर का नाम एवं मोबाइल नम्बर	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2

कार्यक्रम हेतु योजना प्रपत्र जानकारी-प्रपत्र 6 E

खसरा रुबैला टीकाकरण अभियान, राजस्थान – 2019

MR अभियान फॉर्म 6E

Planning unit/Block/District Cold Chain Plan

State: _____		District: _____		Rural / Urban: _____		Planning unit: _____			
Sr. No.	Planning unit	Cold Chain				Logistics			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Target Population (9 mths to <15 years)	Measles-Rubella Vaccine Doses required (C*1.11)	Maximum Diluent doses = D	Cold Chain Space required for MR Vaccine (Litres) = (D x 2.6/1000)	Maximum Cold Chain space required for diluents per day = (2.6 X Daily doses of diluent required / 1000) in Liters	Cold chain space required for Routine Immunization (In Litres)	ILR MK 144 (Number) / ILR HBC 70 (Number)	ILR MK 304 (Number) / ILR HBC 200 (Number)
								Equipment's Available for Measles-Rubella Vaccine	Deep Freezers -Only for Measles-Rubella vaccine and not for diluents (Ltrs)
								Total available Space (Ltrs)	Excess / Deficit = (M-L)
								Space available for campaign (Total Space minus space required for Routine immun.) (L-H)*	No. of Deep Freezers(Excluding DFs considered for vaccine storage)
									Other Options like Ice factory ,domestic refrigerators etc.
									5L
									20L
								S	Number of Vaccine Carriers required (2 x vaccinators + Supervisors + replacement IP)
								T	Number of Ice packs required for 3-day freezing cycle (36x no. of vaccinators)
								U	AD Syringes (0.5 ml) Required (c*1.11)
								V	5 ml Reconst. Syringes Required (No of vials X 1.11)
								W	Whether Adequate Dry Space Available ? (Y/N)
								X	In case of space unavailable ,where logistics will be stored?

कार्यक्रम हेतु योजना प्रपत्र जानकारी-प्रपत्र 7 E

खसरा रुबैला टीकाकरण अभियान, राजस्थान — 2019

MR अभियान फॉर्म 7E

Name of District: _____
 Sub Center: _____
 ASHA: _____

Name of Health Facility (CHC/PHC): _____
 ANM: _____
 AWW: _____

Activity (All activities cannot be planned for all areas. Plan activity relevant to each area)		Mention date, time, person responsible and number as applicable for each area (Village/Urban area - ward/mohalla). Use multiple pages to capture for all areas. Mention "NA" for any activity that is not planned or not applicable for any area.			
		Name of village	Name of village	Name of village	Name of village
1	Mother's meeting (if ASHA/ANM will be organizing mothers meeting, write the date and name of person who will do the meeting)	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____
2	Community/Influencer's meeting (if ASHA/ANM will be organizing community/influencer's meeting, write the date and name of person who will do the meeting)	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____
3	VHSNC meeting for MR campaign (if ASHA/ANM will be organizing VHSNC meeting, write the date and name of person who will do the meeting)	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____
4	Govt. school teachers orientation/coordination meeting (MOIC along with MO, ANM and headmaster/principal should organize orientation of all the nodal teachers from the govt. schools. If there is no govt. school in the village, please write NA)	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____
5	Private school meeting (MOIC along with MO, ANM and headmaster/principal should organize orientation of all the nodal teachers from the pvt. Schools. If there is no pvt. school in the village, please write NA)	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____
6	Parent Teachers Meeting (Principals/headmasters in coordination with MOIC and ANM with help from local ASHA can brief private school teachers. If there is no govt. or pvt. school in the village, please write NA)	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____
7	Rallies (ANM to plan rallies in coordination with School principals/headmasters. Groups like RKS, NCC, and scout guide, NYK, RWA, civil defence can be included)	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____
8	Mosque /Temple announcement (ASHA/ AWW to fix up a meeting of MOIC with religious institutions, meet the respective maulvi or pandit with clear messages for MR and request them to announce one day before, as well as during the vaccination session in their area. Please write NA if not applicable)	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____
9	IPC sessions (ASHA and AWW must undertake house to house visits supported by ANM/MOIC in case of resistant families. ASHA can also provide available leaflets for more information)	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____	Date: _____ Time: _____ Person: _____

Social mobilization activities

कार्यक्रम हेतु योजना प्रपत्र जानकारी—प्रपत्र 8 A

खसरा-रुबेला टीकाकरण अभियान 2019

MR Campaign FORM - 8A

प्लानिंग युनिट पर्यवेक्षण योजना

राज्य: _____

जिला: _____

प्लानिंग युनिट का नाम: _____

सुपरवाइजर का नाम: _____

पद: _____

कैम्पेन दिन क्रमांक	दिनांक	क्षेत्र का नाम	प्रथम सत्र स्थल का नाम	प्रथम विजिट का समय	द्वितीय विजिट का समय	प्रथम विजिट का समय	द्वितीय विजिट का समय	प्रथम विजिट का समय	द्वितीय विजिट का समय	चतुर्थ सत्र स्थल का नाम	प्रथम विजिट का समय

कार्यक्रम हेतु योजना प्रपत्र जानकारी—प्रपत्र 8 B

खसरा-रुबेला टीकाकरण अभियान 2019

MR Campaign FORM - 8 B

जिला स्तरीय पर्यवेक्षण योजना

राज्य: _____

जिला: _____

क्रमांक	जिला स्तरीय सुपरवाइजर का नाम तथा पद	दिनांक— विजिट का विवरण							
		प्रा०/सामु०/ शहरी प्लानिंग युनिट का नाम	गांव-नियमित /जोखिम क्षेत्र/स्कूल						

कार्यक्रम हेतु योजना प्रपत्र जानकारी—प्रपत्र 9 A

स्कूल का कक्षावार खसरा रूबैला टीकाकरण अभियान रिपोर्टिंग प्रपत्र

स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा भरा जायेगा

MRC FORM - 9A

राज्यः—

जिला:-

खण्ड / शहरी क्षेत्रः—

स्कूल का नामः—

स्कूल का पता (गाँव / शहरी क्षेत्र) :-

स्कूल का प्रकारः— (सरकारी / निजी / मदरसा / अन्य)

प्रधानाध्यापक का नाम एवं मोबाइल नॉ:-

स्कूल किस बोर्ड से संबंधित है : ICSE/CBSE/State board/other (specify)

स्कूल में आयोजित होने वाले कुल टीकाकरण सत्र दिवस की संख्या: 1/2/3/4/5/6

स्कूल के नोडल शिक्षक का नाम मोबाइल नॉ:-

क्रम सं०	टीकाकरण की तिथि	कक्षा	क्लास/वर्ग में कुल लक्षित छात्रों की संख्या	टीकाकरण प्राप्त छात्रों की संख्या	उपलब्ध %	स्कूल में टीकाकरण की स्थिति
						पूर्ण / किया जा रहा है
						पूर्ण / किया जा रहा है
						पूर्ण / किया जा रहा है 51

कार्यक्रम हेतु योजना प्रपत्र जानकारी—प्रपत्र ९ B

स्कूल में खसरा रुबैला टीकाकरण अभियान के बाद कक्षा वार छुटे बच्चों का रिपोर्टिंग प्रपत्र

प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल में टीकाकरण के बाद भर कर दिया जायेगा		MRC FORM 9 B
राज्य:-	जिला:-	खण्ड / शहरी क्षेत्र:-
स्कूल का नाम:-	स्कूल का पता (गाँव / शहरी क्षेत्र):-	स्कूल का प्रकार:- (सरकारी / निजी / मदरसा / अन्य)
प्रधानाध्यापक का नाम एवं मोबाइल नं: -		
स्कूल के नोडल शिक्षक का नाम एवं मोबाइल नं: -		
कक्षा / क्लास शिक्षक का नाम एवं मोबाइल नं: -	वर्ग / कक्षा:-	से क्सन: -
कक्षा / क्लास में कुल छात्रों की संख्या:-	कक्षा / क्लास में कुल टीकाकरण प्रप्त छात्रों की संख्या:-	कक्षा / क्लास में शेष टीकाकरण के लिए बचे छात्रों की संख्या:

कार्यक्रम हेतु योजना प्रपत्र जानकारी—प्रपत्र 9 C

सेक्टर / शहरी क्षेत्र स्कूल रिपोर्टिंग

स्कूल वार कवरेज प्रपत्र

MRC FORM - 9 C

राज्य:-

जिला:-

खण्ड / शहरी क्षेत्र:-

प्लानिंग युनिट का नाम:.....

खण्ड / शहरी क्षेत्र में कुल स्कूल की संख्या:-

क्रम सं	दिनांक	स्कूल का नाम:-	स्कूल में लक्षित छात्रों की संख्या	टीकाकरण प्राप्त छात्रों की संख्या	उपलब्ध %	स्कूल में कुल कार्य दिवस	स्कूल में टीकाकरण की स्थिति
							पूर्ण / किया जा रहा है
							पूर्ण / किया जा रहा है
							पूर्ण / किया जा रहा है

कार्यक्रम हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्र जानकारी—प्रपत्र 10

खसरा रुबैला टीकाकरण अभियान राजस्थान – 2019

MR अभियान फॉर्म - 10

राज्य: राजस्थान

जिला:

टीकाकर्मी टैली सीट

सत्र स्थल का नाम एवं पता:

खड़ / प्लानिंग यूनिट:

दिनांक:

प्रत्येक लाभार्थी को टीका देने के बाद () जील घेरा लगायेंसत्र का प्रकार

स्थाई



स्कूल



बाह्य/आउटरिच



मोबाइल

खण्ड दल संख्या:

ए.ई.एफ.आई दल का स्थान एवं मो ०१०-

आयुवर्ग	प्रत्येक लड़का के लिये एक घर में () जील घेरा लगायें										प्रत्येक लड़की के लिये एक घर में () जील घेरा लगायें										कुल लड़का	कुल लड़की	कुल योग
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
9 माह से - < 5 वर्ष	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50			
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70			
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80			
5 वर्ष से - < 10 वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50			
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70			
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80			
10 वर्ष से 15 वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50			
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70			
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80			
कुल योग																							

कार्यक्रम हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्र जानकारी—प्रपत्र 11

खसरा रुबैला अभियान राजस्थान – 2019

MR अभियान फॉर्म 11

पर्यवेक्षक जॉच प्रपत्र

जिला:

दिनांक: _____

खण्ड का नाम/शहरीय क्षेत्र

सत्र का क्षेत्र: ग्रामीण/ शहरी

पर्यवेक्षक का नाम:

प्लानिंग युनिट का नाम:-

सत्र स्थल-1

सत्र स्थल-2

सत्र स्थल-3

निरीक्षण	1	भ्रमण किये गये सत्र स्थल का नाम		
	2	सत्र का प्रकार स्कूल/आउटरीच/मोबाइल/ईट भठा/अन्य का नाम		
	3	क्या सत्र स्थल माइक्रोप्लान के अनुसार है ? (हॉ/ नहीं)		
	4	क्या सभी टीकाकर्मी माइक्रोप्लान के अनुसार है ? (हॉ/ नहीं)		
	5	क्या टीम के अन्य सदस्य माइक्रोप्लान के अनुसार है ? (हॉ/ नहीं)		
	6	क्या टीकाकरण सत्र पर प्रचार-प्रसार सामग्री (पोस्टर/ बैनर) दिखाई पड़ रहा है ? (हॉ/ नहीं)		
	7	क्या टीम के सदस्य भीड़ को अच्छे से नियंत्रित कर रहे है ? (हॉ/ नहीं)		
	8	खसरा रुबैला का वैक्सीन एवं तनुकारक चार आईस पैक के साथ वैक्सीन कैरियर में रखा गया है ? (हॉ/ नहीं)		
	9	उपयोग किया जा रहा वैक्सीन वॉयल बाहर निकाले गये आईस पैक पर रखा गया है ? (हॉ/ नहीं)		
	10	वैक्सीन वॉयल पर घोलने का समय लिखा गया है ? (हॉ/ नहीं)		
	11	तनुकारक को घोलने से पहले वैक्सीन कैरियर में रखा गया है ? (हॉ/ नहीं)		
	12	क्या एक समय में एक हीं वॉयल घोला जा रहा है ? (हॉ/ नहीं)		
	13	तनुकारक की पूरी मात्रा वायल में घोलने हेतु मिलाया जा रहा है ? (हॉ/ नहीं)		
	14	टीकाकर्मी द्वारा टीका सबक्यूटेनियस लगाया जा रहा है ? (हॉ/ नहीं)		
	15	टीकाकर्मी द्वारा टीका दाहिने बॉह में लगाया जा रहा है ? (हॉ/ नहीं)		
	16	टीकाकर्मी द्वारा टीका घोलते या टीका लगाते समय निडल को छूआ जा रहा है ? (हॉ/ नहीं)		
	17	क्या टीकाकर्मी द्वारा बच्चे को टीका लगाने के बाद तुरत टैली सीट भरा जा रहा है ? (हॉ/ नहीं)		
	18	क्या टीकाकर्मी द्वारा उपयोग की गयी सिरीज को पुनः रीकैप किया जा रहा है ? (हॉ/ नहीं)		
	19	क्या टीका लगाने के बाद सिरीज को हब कटर से तुरत काटा जा रहा है ? (हॉ/ नहीं)		
साक्षकार से टीकाकर्मी	20	सत्र स्थल पर वैक्सीन कैसे लाया गया ? (AVD / एएनएम/ पर्यवेक्षक)		
	21	क्या सत्र स्थल पर सभी आवश्यक सामग्री मौजूद है ? (हॉ/ नहीं)		
	22	क्या सत्र स्थल पर कार्यरत हब कटर मौजूद है ? (हॉ/ नहीं)		
	23	क्या सत्र पर AEFI रिपोर्टिंग फारमेट है ? (हॉ/ नहीं)		
	24	क्या टीकाकर्मी AEFI रिपोर्टिंग फारमेट भरने की जानकारी रखता है ? (हॉ/ नहीं)		
	25	क्या टीम के अन्य सदस्य घर-घर भ्रमण के द्वौरान बच्चों को बुला रहे है ? (हॉ/ नहीं)		

कार्यक्रम हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्र जानकारी—प्रपत्र 11

खसरा रुबैला अभियान राजस्थान – 2019

MR अभियान फॉर्म 11

पर्यवेक्षक जॉच प्रपत्र

पर्यवेक्षक का नाम:

प्लानिंग युनिट का नाम:-

जिला:

दिनांक: _____

खण्ड का नाम/शहरीय क्षेत्र

सत्र का क्षेत्र: ग्रामीण/शहरी

सत्र स्थल-1	सत्र स्थल-2	सत्र स्थल-3
-------------	-------------	-------------

क्षेत्र

26 सत्र स्थल पर खसरा रुबैला वैक्सीन वायल पर्याप्त मात्रा में है ? (हॉ/नहीं)

27 सत्र स्थल पर ए.डी.सिरिंज (0.5 ml) पर्याप्त मात्रा में है ? (हॉ/नहीं)

28 वैक्सीन कैरियर में रखा गया आईस पैक कंडीशन है ? (हॉ/नहीं)

29 वैक्सीन वायल का वी वी एम उपयोगी है ? (हॉ/नहीं)

30 सत्र स्थल पर डीस्पोजेवल सिरिंज (5 ml) पर्याप्त मात्रा में है ? (हॉ/नहीं)

31 क्या सत्र स्थल पर खसरा रुबैला वैक्सीन एवं घोलक एक ही निर्माता द्वारा बने हैं ? (हॉ/नहीं)

32 क्या वैक्सीन, घोलक, एवं सिरिंज expiry तिथि के अन्दर है ? (हॉ/नहीं)

33 क्या उपयोग किया गया वैक्सीन वायल एवं टैली सीट में लाभार्थी की संख्या मेल करती है ? (हॉ/नहीं)

34 क्या स्कूल में फिर से सत्र लगाने की आवश्यकता है ? (हॉ/नहीं)

पर्यवेक्षक की टिप्पणी :

पर्यवेक्षक पिछले दिन किये गये एक आउटरिच टीकाकरण के क्षेत्र में 20 घरों का भ्रमण अवश्य करें तथा शेष आज के क्षेत्र में भी 20 घर जॉच कर छुटे बच्चों का सत्र पर टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें।

	भ्रमण किये गये सत्र का नाम	स्थल-1	स्थल-2	स्थल-3	कुल
a) जॉच किये गये घरों की संख्या					
b) जॉच किये गये घरों में 9 माह से < 15 वर्ष के बच्चों की संख्या					
c) अप्रतिरक्षित पाये गये बच्चों की संख्या					
d) अप्रतिरक्षित पाये गये बच्चों का प्रतिशत ($c/b \times 100$)					
e) क्या क्षेत्र में रिपीट टीकाकरण की आवश्यकता है ? (हॉ/नहीं)	हॉ/नहीं	हॉ/नहीं	हॉ/नहीं	हॉ/नहीं	हॉ/नहीं

यदि 20 बच्चों के जॉच में 1-3 बच्चा अप्रतिरक्षित पाया जाता है तो निकट के टीकाकरण सत्र पर बच्चा को टीका लगवाने हेतु अभिभावक को प्रेरित करें।

यदि 20 बच्चों के जॉच में 4 या 4 से अधिक बच्चा अप्रतिरक्षित पाये जाते हैं तो क्षेत्र में फिर से सत्र लगाया जाये।

कार्यक्रम हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्र जानकारी—प्रपत्र 12

खसरा रूबैला अभियान राजस्थान 2019

MRC Form 12

दैनिक कवरेज रिपोर्ट

जिला:-				खण्ड / शहरी क्षेत्र:-																	
पर्यवेक्षक का नाम:-				प्लानिंग युनिट का नाम:-																	
दिनांक:-				कार्य दिवस (गोल धेरा लगाये): 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40																	
क्रमांक	ठीम संख्या	सत्र स्थल का नाम	सत्र स्थल का प्रकार स्कूल / आउटरीच / स्थाइ	टीका लगाये गये बच्चों की संख्या								MR के उपयोग वायलो की संख्या	MR के शेष बचे बन्द वायलो की संख्या	खर्च AD सिरीज की संख्या	शेष बचे AD सिरीज की संख्या	स्कूल / शिक्षण संस्थान सत्र		आउटरीच सत्र		AEFI केस की संख्या	
				9 माह से < 5 वर्ष		5 वर्ष से < 10 वर्ष		10 वर्ष से < 15 वर्ष		कुल योग						आज प्लान सत्रों की संख्या	आज सभी आयोजित सत्रों की संख्या	ऐसे स्कूलों की संख्या जहाँ एक या एक से अधीक बलास के छात्र छुटे रह गये	आज प्लान सत्रों की संख्या	आज प्लान के अनुसार नहीं आयोजित सत्रों की संख्या	सिरियस
				M	F	कुल	M	F	कुल	M	F	कुल	M	F	कुल						
a	कुल योग																				

मोबाइल दल				टीका लगाये गये बच्चों की संख्या								यहाँ कुछ न भरें	आउटरिच सत्र		AEFI केस की संख्या					
Sr No	दल संख्या	सत्र स्थल का नाम	सत्र स्थल का प्रकार ईंट भटा / ढाणी / अन्य	9 माह से < 5 वर्ष		5 वर्ष से < 10 वर्ष		10 वर्ष से < 15 वर्ष		कुल योग			MR के उपयोग वायलो की संख्या	MR के शेष बचे बन्द वायलो की संख्या	खर्च AD सिरीज की संख्या	शेष बचे AD सिरीज की संख्या	आज प्लान सत्रों की संख्या	प्लान के अनुसार नहीं आयोजित सत्रों की संख्या	सिरियस	सिवियर
								M	F	कुल	M	F	कुल	M	F	कुल	M	F	कुल	
b	कुल योग																			
c	कुल योग (a+b)																			

MR Abhiyan Microplanning format

प्रा० स्वा० केन्द्र का नाम सरानीखेडा	उप स्वा० केन्द्र का नाम रामगढ़	उप स्वा० केन्द्र के समस्त गांवो/वार्डों एवं ढाणियों के नाम	गांव के समस्त स्कूलों के नाम				गांव के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र एवं अन्य चयनित सत्र स्थलों के नाम				
				1	2	3	4	1	2	3	4
			रामपुरा	स्कूल का नाम	रा० प्रा० वि० रामपुरा	चिल्ड्रन एकेडमी रामपुरा	सरस्वती प्रा० वि० रामपुरा	आंगनबाड़ी केन्द्र 1 राजू का घर, मेघवाल मौहल्ला, रामपुरा	राजू का घर, मेघवाल मौहल्ला, रामपुरा		
				कुल 15 साल तक के छात्रों की संख्या	150	325	147		120	95	
				सत्र स० / टीम की आवश्यकता	1	2	1		1	1	
				टीकाकर्मी का नाम	संतोष कुमारी	विमला, संजू	राधा कुमारी	संतोष कुमारी	विमला		
				सत्र आयोजन का दिनांक	24 जुलाई 2019	24 जुलाई 2019	24 जुलाई 2019	9 अगस्त 2019	9 अगस्त 2019		
			मोहनपुरा	स्कूल का नाम	रा० प्रा० वि० मोहनपुरा	रा० मा० वि० मोहनपुरा	आ० उ० प्रा० वि० मोहनपुरा	बाल मन्दिर स्कूल मोहनपुरा	आंगनबाड़ी केन्द्र 1 मोहनपुरा	आंगनबाड़ी केन्द्र 2 मोहनपुरा	आंगनबाड़ी केन्द्र 3 मोहनपुरा पण्डित का घर मोहनपुरा
				कुल छात्रों की संख्या	287	452	122	242	108	264	101
				टीकाकर्मी का नाम	लक्ष्मी, मनोज कुमार	पवन, मुकेश, कंचन	मुकेश	सरोज, नीरज कुमार	मनोज कुमार	पवन, मुकेश,	मुकेश सरोज, नीरज कुमार
				सत्र स० एवं टीम की आवश्यकता	2	3	1	2	1	2	1
				सत्र आयोजन का दिनांक	24 जुलाई 2019	24 जुलाई 2019	24 जुलाई 2019	24 जुलाई 2019	9 अगस्त 2019	9 अगस्त 2019	9 अगस्त 2019


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
 भारत सरकार

रवसरा
 ● और रुबैला
 ● टीकाकरण अभियान

7 से 28 फरवरी 2017

9 माह से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अभियान

दो बीमारियों को हराएंगे ये टीका ज़रूर लगवाएंगे!



सुनिश्चित करें कि 15 वर्ष तक की आयु के सभी स्कूली बच्चों को खसरा-रुबैला का टीका लग जाए

खसरा एक जानलेवा बीमारी है,
इसका परिणाम ऐसा हो सकता है :



- निमोनिया
- दस्त
- जीवन के लिए अन्य घातक समस्याएं



- अंधाधन
- बहरापन
- कमज़ोर दिमाग़
- जन्मजात दिल की बीमारियों

गर्भावस्था के दौरान रुबैला संक्रमण के फलस्वरूप शिशु जन्मजात दोषों के साथ पैदा हो सकते हैं, जैसे :



रागड़ावाली दियाएँ
 आपने बच्चे का स्वास्थ्य ठीकाकरण करवाया?



- निमोनिया
- दस्त
- जीवन के लिए अन्य घातक समस्याएं



- अंधाधन
- बहरापन
- कमज़ोर दिमाग़
- जन्मजात दिल की बीमारियों


 टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए अपने शिक्षक, ए.एन.एम., आशा एवं ऑग्नवाड़ी बहन जी से संपर्क करें।


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
 भारत सरकार

रवसरा
 ● और रुबैला
 ● टीकाकरण अभियान

दो बीमारियों को हराएंगे ये टीका ज़रूर लगवाएंगे!

7 से 28 फरवरी 2017

9 माह से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अभियान



खसरा एक जानलेवा बीमारी है,
इसका परिणाम ऐसा हो सकता है :



- निमोनिया
- दस्त
- जीवन के लिए अन्य घातक समस्याएं



- अंधाधन
- बहरापन
- कमज़ोर दिमाग़
- जन्मजात दिल की बीमारियों

गर्भावस्था के दौरान रुबैला संक्रमण के फलस्वरूप शिशु जन्मजात दोषों के साथ पैदा हो सकते हैं, जैसे :



रागड़ावाली दियाएँ
 आपने बच्चे का स्वास्थ्य ठीकाकरण करवाया?



- निमोनिया
- दस्त
- जीवन के लिए अन्य घातक समस्याएं



- अंधाधन
- बहरापन
- कमज़ोर दिमाग़
- जन्मजात दिल की बीमारियों


 NATIONAL HEALTH MISSION
 स्वास्थ्य सेवा विषय

रवसारा
और रुक्षीला

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है
कि _____ कीथि

को रवसारा एवं रुक्षीला दोनों के प्रति
एम.आर. अधिकारी के द्वारा
दिनांक _____

स्थान _____ पर

रुक्षलता पूर्वक टीकाकूत किया जा चुका है।

जारी करने वाले संस्था
रुक्षलता पर स्वास्थ्यवर्धन के लिए
गवर्नर रेडी यूनिवर्सिटी है

अगली समीक्षा बैठक तक किया जाने वाले कार्य

- अपने क्षेत्र के हेडकाउंट सर्वे तथा स्कूल से प्राप्त सूचना के आधार पर 9 माह से 15 वर्ष तक बच्चों की सूचना एकत्रित करनी है।
- स्कूल जाने वाले बच्चे, स्कूल न जाने वाले बच्चे की सूचना का संकलन किया जाना है। जिसमें स्कूलवार, गांववार, मोहल्ला, टोला, ढाणी वार सूचना होनी चाहिए जिससे खसरा-रुबेला टीकाकरण अभियान हेतु बनने वाले माइक्रोप्लान में परेशानी नहीं आये।
- सेक्टर स्तर पर उपकेन्द्र से प्राप्त सूचनाओं का संकलन कर माइक्रोप्लान तैयार करें। इसके अतिरिक्त पर्यवेक्षण योजना, वैक्सीन भण्डारण हेतु आपातकालीन योजना, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन योजना आदि को बनाया जाना है।

पर्यवेक्षकों के लिए दिशा-निर्देश

पर्यवेक्षकों को अपने भ्रमण के दौरान देखना है कि—

- अगर टीकाकर्मी सही कार्य कर रहे हैं तो टीकाकर्मी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- सभी टीकाकर्मी खसरा—रुबेला टीकाकरण अभियान के लिए 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों की चाही गयी सूचना का संकलन कर रहे हों।
- सभी टीकाकर्मियों ने लाभार्थियों का चयन सही तरीके से किया हो। समर्त स्कूलों तथा शिक्षण संस्थाओं से सम्पर्क करके सूचना एकत्रित की हो।
- यदि टीकाकर्मी को किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो उसको पूर्ण सहयोग प्रदान करना है।
- अभियान के दौरान यह देखना है कि स्कूलों, आउटरीच, मोबाइल सत्रों में टीकाकरण सही प्रकार से हो रहा है या नहीं।

पर्यवेक्षकों के लिए दिशा-निर्देश

पर्यवेक्षकों को अपने भ्रमण के दौरान देखना है कि—

- टीकाकरण के समय टीकाकर्मी खसरा-रुबेला वैक्सीन को सही जगह तथा सही मात्रा में लगा रहे हो।
- अभियान के समय किसी बच्चे को ए.ई.एफ.आई हो गया हो तो उसका प्रबंधन करने में सहयोग प्रदान करना है।
- यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि अभियान के दौरान सभी सत्र स्थलों पर एनाफाइलेक्सस किट उपलब्ध हो।
- अभियान के दौरान लगने वाले सत्रों की रिपोर्ट एकत्रित करके सम्बंधित प्लानिंग युनिट को भेजा जाना है।
- अगर टीकाकर्मी सही कार्य कर रहे हैं तो टीकाकर्मी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।